डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, सोमवार , दिनांक 21 जनवरी 2002—माघ 1, शक 1923

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 273/2002/चि. शि.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्र. 7 सन् 2001) की धारा 36 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

प्रविष्टि प्रेक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रविष्टि क्रमांक 1 दिया जाता है. प्रविष्टि क्रमांक 1 के बाद ''प्रविष्टि क्रमांक 2-वैकल्पिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र'' जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 274/2002/चि.शि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 273/2002/चिशि, दिनांक 21-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 21st January 2002

NOTIFICATION

No. 273/2002/M.E.—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 (No. 7 of 2001), the State Government hereby amends the Schedule as follows :—

The entry Practitioner in Alternative Medicine is numbered as entry No. 1. Entry No. 2-Alternative Medicine Certificate is added after entry No. 1.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK SHUKLA, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002